म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

ऋणग्रहिताओं को प्रदत्त ऋणों/साख सीमाओं की मय ब्याज पूर्ण राशि की वसूली पश्चात सुरक्षा हेतु बंधक चल/अचल संपत्तियों के दस्तावेजों की वापिसी हेतु दिनांक 01-12-2023 से प्रभावशील प्रक्रिया।

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश दिनांक 13-09-2023 के संदर्भ में)

1. ऋणों/साख सीमाओं की मय ब्याज पूर्ण राशि की अदायगी पश्चात 7 दिवस के अंदर ऋणग्रहिताओं द्वारा मूल स्वामित्व विलेख की प्राप्ति हेतु बैंक की संबंधित शाखा में उपस्थिति दी जावेगी।

2. ऋणों/साख सीमाओं की मय ब्याज पूर्ण राशि की वसूली पश्चात मूल दस्तावेज (स्वामित्व विलेख) की वापसी 30 दिवस की अवधि के अंदर ऋणग्रहिताओं को किये जावेगे।

3. उक्त अनुसार मूल स्वामित्व विलेख की वापिसी हेतु नियत समयावधि के अंतर्गत बैंक द्वारा निर्मित विभिन्न प्रभारों को समाप्त कराये जाने की कार्यवाही भी की जावेगी।

4. पंजीयन कार्यालय, सरसाई आदि द्वारा प्रभार निरस्तीकरण में विलम्ब किये जाने पर विलम्बित अवधि के लिए बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा। विलम्ब के कारणों की सूचना बैक शाखा द्वारा ऋणी को दी जावेगी।

5. ऋणी की मृत्यु की दशा में बैक शाखा द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ऋणी के विधिक उत्तराधिकारी को मूल दस्तावेज वापिस किये जावेगें।

6. मूल दस्तावेज हानि/क्षतिग्रस्त होने की दशा में डुप्लीकेट/प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में ऋणग्रहिताओं की सहायता की जावेगी। इस हेतु खर्च का वहन बैंक द्वारा किया जावेगा एवं दस्तावेज वापसी की कुल अवधि 60 दिवस ग्राहय होगी।

7. भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय समय जारी होने वाले निर्देश/संशोधन अनुरूप कार्यवाही करने का अधिकार बैंक को होगा, जो कि ऋणग्रहिताओं को मान्य होगा।